

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-2527/9-1-2020-424सा/12टीसी(1)
लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत टप्पल, जिला अलीगढ़ का गठन करने हेतु नीचे अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या-1966/9-1-2019-424सा/12टीसी(1), दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को जारी करके गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या-1568/9-1-2020-424सा/12टीसी(1), दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येत्तर कार्यकलापों में नियोजन का प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में दी गयी है, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत, टप्पल, जिला-अलीगढ़ के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

नगर पंचायत, टप्पल, जिला-अलीगढ़ का प्रादेशिक क्षेत्र :-

क्र० सं०	सीमावर्ती ग्रामों के नाम	दिशा	सीमावर्ती ग्रामों की गाटा संख्याएँ
1	ब्रजा नगला, कुराना	पूरब	2283, 2286, 2292, 2296, 2297, 2299, 2348, 2349, 2351, 2351, 2354
2	आदमपुर, डोरपुरी, घरबरा	पश्चिम	01, 02, 21, 23, 24, 51, 60, 61, 62, 69, 269, 270, 504,
3	स्यारौल	उत्तर	549, 550, 551, 560, 572, 574, 575, 577,
4	कंसेरा, जहानगढ़	दक्षिण	2545, 2546, 2553, 2555, 2556, 2561, 2562, 2596, 2597, 2598, 2599, 5081, 5082,

अनुसूची-2

नगर पंचायत, टप्पल, जिला-अलीगढ़ में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र :-

क्रम संख्या	ग्रामों/ राजस्व ग्रामों का नाम	सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र
1	टप्पल	सम्पूर्ण क्षेत्र
2	नूरपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र
3	उदयपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र
4	मेवानगला	सम्पूर्ण क्षेत्र
5	मिलिक	सम्पूर्ण क्षेत्र

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2527(1)/9-1-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के अतिरिक्त एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-2527(2)/9-1-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
- (2) जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० लखनऊ।
- (8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-2527/9-1-2020-424SA/2012TC(1), dated December 20, 2020.

NOTIFICATION

No-2527 /9-1-2020-424SA/2012TC(1)

Lucknow- Dated December 20, 2020

WHEREAS notification no.-1966/IX-1-2019-424SA/12TC(1), dated December 11, 2019 was issued and published in the Gazette with a view to inviting objections and suggestions for issuance of notification for specifying the area mentioned in the Schedule below as the transitional area for constituting Nagar Panchayat Tappal in District Aligarh as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no II of 1916);

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of the said notification were disposed of vide Government order no-1568/9-1-2020-424SA/12TC(1), dated November 11, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance is pleased to specify that the local area the limits of which is given in the Schedule-1 and Schedule-2 below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Tappal in District Aligarh.

SCHEDULE

Territorial area of Nagar Panchayat Tappal in District Aligarh :-

Sr. No.	Name of Boundary Villages	Direction	Gata No. of Boundary Village
1	Brijanagla, Kurana	East	2283, 2286, 2292, 2296, 2297, 2299, 2348, 2349, 2351, 2351, 2354

2	Aadampur, Dorpuri	West	01, 02, 21, 23, 24, 51, 60, 61, 62, 69, 269, 270, 504,
3	Siyarol	North	549, 550, 551, 560, 572, 574, 575, 577,
4	Kansera, Jahangarh	South	2545, 2546, 2553, 2555, 2556, 2561, 2562, 2596, 2597, 2598, 2599, 5081, 5082,

SCHEDULE-2

**Area being included in Nagar Panchayat Tappal in District
Aligarh :-**

Sr. No.	Name of Villages/ Revenue Villages	Included Area
1	Tappal	Total Area
2	Noorpur	Total Area
3	Udaypur	Total Area
4	Mevangala	Total Area
5	Milik	Total Area


(Deepak Kumar)
Principal Secretary